दिनांक 26.10.2016 को सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में संपन्न झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (संशोधन), 2016 पर संपन्न Work Shop से संबंधित कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति संलग्न</u>

Work Shop के आरम्भ में निदेशक, खान के द्वारा सभी उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए Work Shop के प्रयोजन एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। निदेशक, खान द्वारा वर्त्तमान परिपेक्ष्य में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (JMMC Rule) (संशोधन), 2016 प्रारूप, खनिज विक्रेता/परागमन नियमावली संशोधन प्रारूप खनिज विक्रेता नियमावली (Draft Mineral Dealer Rule) तथा DMF Rule में लघु खनिज पर DMF अंशदान समावेश हेतु करने तथा उसके स्वामिस्व पर अंशदान का प्रतिशत कटौति निर्धारित करने के विषय पर सभी पदाधिकारियों से उनका सुझाव/मंतव्य देने का अनुरोध किया गया।

बैठक में गहन चर्चा के उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा एवं सुझाव दिये गये :–

क) <u>प्रारूप झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के संशोधन के लिए चर्चा</u>

1. वृहत खनिज के नीलामी के लिए तैयार Auction Rule की तरह लघु खनिज के Auction Rule को तैयार किया जाए।
2. लघु खनिज की लोक नीलामी की प्रकिया online करने एवं इसके लिए Transaction Adviser रखने का भी सुझाव दिया गया।
3. लघु खनिजों का Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rule को तैयार करने का सुझाव दिया गया एवं खनिजवार विभिन्न भूतात्विक पारामीटर को निर्धारित करते हुए भूतत्व निदेशालय के द्वारा यह नियमावली तैयार किया जाए।
4. पट्टेधारी के मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी के नाम पर पट्टा के हस्तानान्तरण का प्रावधान वृहत खनिज की तरह लघु खनिज में भी किया जाए।
5. वैसे 31 खनिज जो वृहत खनिज से लघु खनिज की श्रेणी में परिवर्तित हुए हैं उसके संबंध में खनिज समनुदान प्रकिया एवं स्वीकृति के प्रावधान को संशोधित नियमावली में समावेश करने का सुझाव दिया गया।
6. Cadastral Map पर खनिजधारित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए अक्षांश एवं देशांतर का उल्लेख अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया।
7. झारखण्ड लघु खनिज नियमावली को सरलीकरण करने का सुझाव दिया गया ताकि अवैद्य खनन को बढ़ावा न मिले।
8. Orissa, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Telengana का Miner Mineral Rule का अध्ययन करने एवं आवश्यक बिन्दुओं को समावेश करने का सुझाव दिया गया।
9. एक साथ लघु एवं वृहत खनिज के मिलने की स्थिति में क्या नियम रखा जाए, इसके लिये नियमावली में संशोधन का सुझाव दिया गया।
10. बालू एवं अन्य लघु खनिज पर भी DMF लागू किया जाना चाहिए तथा उसका दर भी तय करने का सुझाव दिया गया।
11. सभी निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले सभी लघु खनिजों को Schedule-II में रखने का सुझाव दिया गया।

12. भूतत्व निदेशालय, खान निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से Schedule पुरी तरह से संशोधन करने का सुझाव दिया गया।
13. State Project के लिए Building Material सुलभ हो सके इसके लिए विशेष प्रावधान करने का सुझाव दिया गया।
14. मोरम, मिट्टी एवं ईट भट्टा को auction से बाहर रखने हेतु सुझाव दिया गया
15. रैयती जमीन पर वर्त्तमान व्यवस्था जारी रहे लेकिन सरकारी जमीन का auction करने का सुझाव दिया गया।
16. बालू के लिए संपूर्ण बालूधारित क्षेत्र को चिन्हित कर ब्लॉक बनाया जायगा जिसमे वन भूमि, गैर वन भूमि और रैयती भूमी के साथ साथ पुल–पुलीया को भी उसमें प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।

    चिन्हित ब्लॉक के नीलामी से पुर्व वैधानिक अनापत्ती प्रमाण पत्र यथा पर्यावर्णीय स्वीकृति अनुमोदित खनन योजना राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर लेने का सुझाव दिया गया।
17. अन्य खनिज के पट्टेधारियों द्वारा Mining Plan उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।
18. ईंट भट्टा निर्माण हेतु 6 माह के लिए परमिट तथा 5 वर्ष हेतु खनन पट्टा सभी वांछित अनापत्ती प्राप्त होने पर देने का प्रावधान किये जाने का सुझाव प्राप्त हुआ।
19. वर्त्तमान में नियम 55(3) को विलोपित करने का सुझाव दिया गया ताकि कार्य विभाग के संवेदकों से भी अवैद्य व्यवहृत खनिज पर खनिज मुल्य की वसुली सुनिश्चित किया जा सके।
20. अवैध खनिज परिवहन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना सद्य जुर्माना वसुलने का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया।
21. खान निरिक्षक को प्राथमिकि दर्ज करने हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित करने का सुझाव दिया गया।
22. सहायक/जिला खनन पदाधिकारी को दण्डाधिकारी घोषित करने का सुझाव दिया गया।

ख) <u>प्रारूप झाखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली, 2016 पर चर्चा</u>

1. पारगमन चालान पर खनिज का नाम, ग्रेड और मुल्य अंकित करने का सुझाव दिया गया।
2. विक्रेता नियमावली में Dealer Licence की अवधि वित्तीय वर्ष न रखते हुए पट्टा स्वीकृति की तिथि से कैलेन्डर वर्ष रखने का सुझाव दिया गया।
3. चालान पर खनिज मूल्य, ग्रेड एवं मात्रा अंकित करने का सुझाव दिया गया।

उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा उनके ई–मेल आई.डी. पर प्रारूप झाखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली, 2016 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि नियमावली के अवलोकन के उपरान्त मंतव्य दिया जा सकता है।

ग) <u>जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली , 2016 के संशोधन पर चर्चा</u>

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली, 2016 में लघु खनिज पर DMF हेतु अंशदान का प्रावधान करने एवं नगर क्षेत्र में पड़ने वाले खनन क्षेत्र के संबंध में ग्राम सभा के स्थान पर संबंधित प्राधिकरण को जोड़ते हुए प्रावधान रखने का सुझाव किया गया।

अन्यान्य

1. JIMMS को notified करने एवं महालेखाकार से audit कराने का सुझाव दिया गया।
2. Bihar Mica Act, 1954 को Repeal कराने का सुझाव दिया गया।

गहण विचार विमर्श के उपरान्त सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अपर निदेशक, खान, राँची श्री बी0 बी0 सिंह की अध्यक्षता में एक कमिटि गठन कर विभिन्न खनिज व्यवसाई, खनिज उद्योग संघ तथा विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त सुझाव/मंतव्य को वर्त्तमान प्रारूप झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (संशोधन), 2016 के स्वरूप की समीक्षा करते हुए विचारणीय आवश्यक प्रस्ताव का समावेश करते हुए संशोधित प्रारूप नियमावली तैयार करने का निदेश दिया गया। सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वर्त्तमान के सभी उल्लेखित नियमावली के प्रारूप को सभी विभागीय पदाधिकारियों के ई–मेल के माध्यम से दिनांक 09.11.2016 तक अपना सुझाव उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ Work Shop का समापन किया गया।

ह0/–

(सुनील कुमार बर्णवाल)
सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांक– 3045 /एम0, राँची, दिनांक– 14-12-16

प्रतिलिपि– सरकार के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड/निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/सभी अपर निदेशक, खान, झारखण्ड/भूतत्व, झारखण्ड/सभी उप निदेशक, खान/भूतत्व, झारखण्ड/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी, खान/सभी सहायक निदेशक, भूतत्व/भूतत्ववेत्ता झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अबुबक्कर सिद्दीक पी0)
खान आयुक्त।